रवीराम बनाम राजस्थान सरकार
आबकारी अधिकारी ...
केस नं० 36/2023

25/01/24 पत्रावली पेश हुई। ... की तारीख
...
दिनांक 14/3/24 को पेश हो।

14/3/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित।
अप्रार्थी सं० 2 अनुपस्थित। इनको बार-बार
आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार
किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः
अप्रार्थी सं० 2 के विरुद्ध एक तरफा
कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा
पत्रावली के अवलोकन तहसीलदार ...
के जांच रिपोर्ट का अवलोकन
करने पर प्रार्थीगण का प्र० पत्र अन्तर्गत
धारा 131, 132, 136 एल० आर० एक्ट को
स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखकर ...
जारी किया गया। निर्णय आज ही
खुले में सुनाया गया। पत्रावली
... होकर ... की
हो तथा बाद ... होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
...

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
36 / 2023	20 / 04 / 2023	14 / 03 / 2024

1. रतीराम पुत्र मगला
2. जोधा पुत्र श्योजी
3. रेवड पुत्र श्योजी

जातियान मीणा निवासी भावपुरा तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. कालूराम पुत्र कानाम जाति मीणा निवासी भावपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा -- वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 131,132, 136 एल0आर0 एक्ट

-:निर्णय :-

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा के यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 395 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा हाल नवीन खसरा नम्बर 497 रकबा 2.13 हैक्टेयर अनुसार प्रार्थीगण की हकखातेदारी भूमि स्थित चली आ रही है। जिसके राजस्व नक्शें में हाल सैटलमेंट कार्यवाही में साबिक राजस्व नक्शें व कब्जे व हक अधिकार के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण नक्शा तरमीम होने से आगे विवादित आराजीयात है। दौराने सैटलमेंट कार्यवाही मे सेटलमेंट अधिकारीयो द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के तरमीमशुदा साबिक नक्शेनुसार भूमि विवादित नवीन खसरा नम्बर 497 के नवीन राजस्व नक्शें की पश्चिमी सीवरेखा को त्रुटिपूर्ण तरमीमम करते हुए प्रार्थीगण के साबिक राजस्व नक्शें की भूमि को हाल खसरा नम्बर 504 के राजस्व नक्शे मे तरमीम कर दिया। जो कि विवादित भूमि के राजस्व नक्शों की तरमीम साबिक कब्जे काश्त, साबिक राजस्व नक्शा एवं प्रार्थीगण के विधिक हक अधिकारों के विपरित त्रुटिपूर्ण नवीन तरमीम से मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होना सम्भावित है। साबिक नक्शानुसार व पूर्वानुसार प्रार्थीगण का अपने खातेदारी के रकबा बरारी सम्पूर्ण क्षेत्रफल अनुसार कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण की भूमि के हक मालिकाना खातेदारी व कब्जे काश्त से नवीन खसरा नम्बर 504 के राजस्व नक्शें में शामिल करने का कोई संबंध सरोकार नही है। हाली सैटलमेंट कार्यवाही में वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की खतौनी कायम करते समय राजस्व कर्मचारियों ने खातेदारी की खतौनीया तो पक्षकारों के हक अधिकारों अनुसार कायम कर दिया, लेकिन खसरा नम्बर 497 की पश्चिमी सीमा रेखा को संकुचित कर नवीन खसरा नम्बर 504 में प्रार्थीगण की भूमि को शामिल करते हुए साबिक खसरा नम्बर 395 की भूमि को कम कर नवीन खसरा नम्बर 504 में शामिल दिया गया। जिससे प्रार्थीगण के साबिक खसरा नम्बर 395 की पश्चिमी दिशा की भूमि का नवीन खसरा नम्बर 504 के नक्शें में शामिल है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व नक्शों मे हेराफेर व त्रुटिपूर्ण तरमीम करते हुए प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी के साबिक नक्शे को नवीन खसरानम्बर 504 की भूमि के नक्शें में रखते हुए प्रार्थीगण की भूमि के

उप खण्ड अधिकारी

नक्शें में त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जो कि प्रार्थीगण की हक अधिकारों के विरूद्ध प्रभाव शुन्य कार्यवाही है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निर्णय किया जाकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 497 के वर्तमान राजस्व नक्शें को व साबिक खसरा नम्बर 395 के राजस्व नक्शें मुताबिक तरमीम करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार खसरा नम्बर 504 के राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्तीकरण करने के आदेश तहसीलदार को दिया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी स. 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। दिनांक 14.03.24 को अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /रीडर/सरिश्ता/2024/31/96 दिनांक 6.3.24 द्वारा जवाब पेश किया । जो शामिल मिसल है। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि आवेदित भूमि खसरा नम्बर 497 रकबा 2.13हैक्ट0 मुताबिक रिकार्ड आवेदक / वादी की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शा खसरा नम्बर 497 व गत नक्शा खसरा नम्बर 385 में पश्चिम सींवरेखा में अन्तर प्रतीत हो रहा है खसरा नम्बर 385 के हाल नये खसरा नम्बर 497 है। वादी के खसरा नम्बर का गत नक्शा व हाल राजस्व नक्शा में मिलान करने पर व रकबा बरारी करने पर पश्चिम सींवरेखा में लगभग 10 मीटर का अन्तर आ रहा है। वादी का खसरा नम्बर 497 पर पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। अतः वादी के गत व हाल नक्शे में लगभग 10 मीटर का पश्चिम सींवरेखा में फर्क आ रहा है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भावपुरा पटवार मण्डल मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नम्बर 395 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा हाल नवीन खसरा नम्बर 497 रकबा 2.13 हैक्टेयर को मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान राजस्व नक्शें को साबिक राजस्व नक्शे के मुताबिक तरमीम कर दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़